उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

शिव कुमार लाल
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **01/20018–19**

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

29/11/21

अपीलार्थी श्री शिव कुमार लाल पति–किशोरी मोहन लाला ग्राम–सरना टोली पालकोट रोड गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–19/2014–15 में दिनांक–23.06.2017 को पारित आदेश, से विक्षुब्ध होकर अपील वाद दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा लिखित बहस भी समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विविध अपील वाद सं0–19/2014–15 में पारित आदेश में मौजा–अरमई के खाता नं0–71 प्लॉट नं0–1779 रकबा–2.34 एकड में से 0.21 एकड जमीन का नामान्तरण खारिज कर दिया गया एवं अन्य प्लॉटों का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। उपरोक्त भूमि का खतियान रिवीजन सर्वे में बकास्त मालिक के रुप में सम्मिलात मालिकाना के रुप में दर्ज है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त जमीन तत्कालीन जमीनदार के कब्जे की जमीन थी तथा उन्ही के स्वामित्व की थी। जमीनदारी उनमूलन के पश्चात उस जमीन का लगान निर्धारण धारा–5,6 व 7 बिहार लैण्ड रिफार्मस एक्ट के अन्तर्गत हरीशंकर लाल के नाम पर हुआ तथा उसका एम फार्म भी उन्ही के नाम से निर्गत हुआ। फार्म एम में लिपिकिय भूल के कारण प्लॉट–1779 के स्थान पर गलत प्लॉट सं0–1789 दर्ज हो गया परन्तु उसमें प्लॉट नं0–1779 का खाता सं0–71 रकबा–2.34 एकड सही दर्ज हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्लॉट नं0–1789 खाता नं0–71 की जमीन नही है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर खाता नं0–71 प्लॉट नं0–1779 रकबा–0.21 एकड जमीन की जमाबंदी अपीलार्थी के नाम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा इस वाद में लिखित मंतव्य प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा खाता नं0–71 प्लॉट नं0–1779 रकबा–2.34 एकड में 0.21 एकड जंमीन जो ग्राम–अरमई थाना व जिला–गुमला में अवस्थित है , का नामान्तरण अपने नाम से दायर करने हेतु आवेदन दिया है। खतियान रिवीजनल सर्वे में बकास्त मालिक के रुप में सम्मिलात मालिकान के रुप में दर्ज है। उपरोक्त प्रविष्ठी से यह स्पष्ट है कि यह जमींदार की जमीन थी जमींदारी उनमूलन के पश्चात जमीनदार के उस जमीन के अलावे अन्य जमीन का एम फार्म हरीशंकर लाल के नाम से बना है। जो वर्तमान में अपीलार्थी के पूर्वज थे उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि फार्म एम में गलत प्लॉट नं0–1789 दर्ज हो गया है जो कि लिपिकिय भूल है क्योकि खाता नं0–71 में प्लॉट नं0–1789 है ही नही। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी के जमीन का प्लॉट सं0–1779 के स्थान पर 1789 दर्ज हो गया है जो कि लिपिकिय भूल है। उनके द्वारा माननीय

Scanned with CamScanner

सर्वोच न्यायालय की रुलिंग जो AIR-1963(S.C)-1879 के रुलिंग में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्लॉट नं0–गलत दर्ज हो गया है और खाता नं0 और रकवा सही है तो भी जमीन के पहचान नही बदल सकती है। और वह प्लॉट सही माना जायगा। सरकारी अधिवक्ता मंतव्य के अनुसार अपीलार्थी के नाम से खाता नं0–71 प्लॉट नं0–1779 रकवा–2.34 एकड में से 0.21 एकड जमीन ग्राम–अरमई थाना व जिला–गुमला का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम पर करने में कोई बैधिक अवरोध प्रतीत नही होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज एवं सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह कहना है कि मौजा अरमई के खाता नं0–71 प्लॉट नं0–1779 एम फार्म में प्लॉट सं0–1779 के स्थान पर 1789 दर्ज हो गया है। जो कि लिपिकिय भूल है जो सुधार योग्य है।

प्रथम दृष्टव्य अपीलार्थी का यह दावा सत्य प्रतीत नही होता है चूँकि अपीलार्थी भूतपूर्व जमीदार के वशंज है तथा भूतपूर्व जमीदार हरीशंकर लाल को लगान निर्धारण वाद सं0–35/155–R II/55–56 के माध्यम से संबंधित भूमि प्लॉट नं0–1789 रकबा–2.34 एकड का अन्य प्लॉटों के साथ एम फार्म तत्कालीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया था परन्तु तय समय–सीमा के अन्तर्गत भू–धारी अथवा उनके अन्य वंशजो द्वारा एम फार्म के इन्द्रराज में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा उसमें सुधार कराने का कोई कार्रवाई सक्षम न्यायालय के समक्ष नही की गयी है।

अतः एम फार्म निर्गत होने के 55–56 वर्षो के उपरान्त एम फार्म के इन्द्रराज में किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner